दसवीं माला, खंड 18, अंक 5

27 फरवरी, 1993
फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

दसम माला, खंड 18, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 6, शनिवार, 27 फरवरी, 1993/8 फाल्गुन, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
सामान्य बजट, 1993-94—प्रस्तुत	1—29
श्री मनमोहन सिंह	1
वित्त विधेयक, 1993—पुरःस्थापित	29—30

लोक सभा

शनिवार, 27 फरवरी, 1993/8 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा 5.00 म० प० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बजट सत्र की इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक में आपका स्वागत करता हूं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह बजट प्रस्तुत करें।

सामान्य बजट, 1993-94

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं वर्ष 1993-94 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

हमारी सरकार को कार्यभार संभाले अब 20 महीने पूरे हो गए हैं : ऐसे 20 घटनापूर्ण महीने, जिनमें हमने विरासत में मिली अत्यंत कठिन आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के नेतृत्व में लगातार काम किया है। जून, 1991 में अर्थ-व्यवस्था भुगतान संतुलन के अपूर्व संकट में फंसी हुई थी। आयातों पर एक क्रूर दबाव लगाया गया था; अंतर्राष्ट्रीय विश्वास लड़खड़ा गया था; औद्योगिक उत्पादन गिर रहा था; और मुद्रास्फीति बढ़ रही थी।

संकट की अनुभूति अब हमारे पीछे रह गई है। हमने अपने विदेशी भुगतानों के संबंध में सामान्य स्थिति को बहाल कर दिया है। अगस्त, 1991 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 17 प्रतिशत के शीर्ष पर थी उसे घटाकर 7 प्रतिशत से कम कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बहाल कर दिया गया है। चालू वर्ष में कृषि का अच्छा निष्पादन रहा है और औद्योगिक उत्पादन भी पूर्व स्थिति में आना शुरू हो गया है। अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि, जो वर्ष 1991-92 में गिरकर 1.2 प्रतिशत हो गई थी, उसके वर्ष 1992-93 में लगभग 4 प्रतिशत हो जाने की प्रत्याशा है। राजकोषीय अनुशासन और ढांचागत सुधार के दो जुडवां स्तंभों पर आधारित होने वाली जिस आर्थिक कार्यनीति पर हम चले हैं, वह उससे हुए निर्णायक सुधार द्वारा उचित सिद्ध हुई है।

आर्थिक अनुशासन जरूरी था, क्योंकि सरकार बहुत लंबे समय से अपने साधनों से अधिक खर्च करती रही थी। केन्द्रीय सरकार के बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे हमारी भुगतान-संतुलन संबंधी समस्या, बढ़ती हुई कीमतों और उच्च ब्याज दरों का मूल कारण थे। वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को चालू वर्ष में घटाकर लगभग 5 प्रतिशत पर लाकर हमने अच्छी प्रगति की है।

संसाधन के प्रयोग में दक्षता वृद्धि तथा हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के उद्देश्य की ढांचागत सुधार नीतियां भुगतान के संकट का चिरस्थायी समाधान करने में निर्णायक रही हैं। हमारी व्यापार और औद्योगिक नीतियों की पुन:संरचना करना, वृहत घरेलू प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दक्षता को प्रोत्साहित करना, अपने उत्पादकों को शुल्क की समुचित दरों पर आयात करने की स्थिति में लाना, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना तथा भारतीय प्रौद्योगिकी का उन्नयन और प्रगामी रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व-अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना जरूरी था। इन सुधारों के बगैर भारत को 21वीं शताब्दी में एशिया के लगभग सबसे गरीब देश के रूप में प्रवेश करने वाले देश के एक निश्चित परिदृश्य का सामना करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय लोग ऐसे परिणाम को कभी सहन नहीं करेंगे। भारत के प्राकृतिक और मानव संसाधन हमें विश्व-अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख शक्ति-केंद्र होने के रूप में सोचने का हकदार बनाते हैं। हमारे सुधार ठीक इसी दर्शन से प्रेरित होते हैं।

हमने जो नीतियां अपनाई हैं, वे किसी भी तरह से गरीबों और सुविधावंचित लोगों का ध्यान रखने की हमारी वचनबद्धता को कम नहीं करती हैं। इसके विपरीत, हमने हमारे समाज में गरीबों और कामकाजी वर्गों पर समायोजन के भार को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाए हैं। हमने अंधकार के उन व्यावसायिक भविष्यवक्ताओं को गलत सिद्ध कर दिया है, जो लाखों लोगों के सुधार प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो जाने की भविष्यवाणियां कर रहे थे।

जब हमने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, तब हम यह जानते थे कि हमारी नीतियों का लाभ तीन-चार वर्षों के बाद ही दिखाई देगा। इसलिए धैर्य अनिवार्य है। फिर भी, माननीय सदस्य इस बात से संतोष प्राप्त कर सकते हैं कि प्रारम्भिक परिणाम निश्चित रूप से उत्साहवर्द्धक हैं। मुद्रास्फीति घटी है और उत्पादन पूर्व स्थिति की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। उदारीकरण के परिणामस्वरूप आयातों से दब जाने के हमारे भय अत्यधिक अतिरंजित सिद्ध हुए हैं। वर्ष 1992-93 में आयात लाइसेंस की प्रणाली की वास्तविक समाप्ति के बावजूद भी वर्ष 1992-93 में अमरीकी डालर में किए गए कुल आयातों के वर्ष 1990-91 के कुल आयातों से कम रहने की संभावना है। यद्यपि, अधिकांश चालू लेखा लेन-देनों के लिए रुपया चलाया गया है, बाजार विनिमय दर अपेक्षाकृत स्थिर रही है। निवेश के वातावरण में पर्याप्त सुधार हुआ है। गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा निर्गमित पूंजी निर्गम अप्रैल-अक्तूबर, 1992 में पिछले वर्ष की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक थे। वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1992-93 के प्रथम दस महीनों में स्वीकृत किए गए उधार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 49 प्रतिशत अधिक थे। विदेशी निवेशक बिजली तथा पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रों सहित बहुत से क्षेत्रों में निवेश करने में सक्रिय रुचि दिखा रहे हैं। अगस्त, 1991 से जनवरी, 1993 के अन्त तक विदेशी निवेश प्रस्ताव के लिए दिए गए अनुमोदनों की राशि 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के इक्विटी निवेश के बराबर है। वस्तुत: यह इस चरण पर केवल अनुमोदन हैं और वास्तविक धन-प्रवाहों के कार्यान्वित होने में समय लगेगा, लेकिन वे निश्चित रूप से भविष्य में भारी मात्रा में निवेश के अन्त:प्रवाहों की पर्याप्त क्षमता का संकेत देते हैं।

फिर भी, आत्मसंतोष के लिए कोई स्थान नहीं है। राजकोषीय असंतुलन अभी भी बड़े हैं। हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता और उनकी संसाधन सृजित करने की क्षमता अभी भी बहुत अपर्याप्त है। मुद्रास्फीति की आशंकाओं को अभी भी अर्थव्यवस्था से पूर्ण रूप से निष्कासित नहीं किया गया है और यदि राजकोषीय अनुशासन में शिथिलता लाई गई तो मुद्रा-

स्फीति का दबाव सरलता से दुबारा बन सकता है। अर्थव्यवस्था अभी भी बाहरी आघातों और विश्वास के अभाव के प्रति कमजोर है। दिसम्बर, 1992 और जनवरी, 1993 में हुए दंगों और उपद्रवों ने भी घरेलू उत्पादन और निर्यातों में गतिरोध पैदा करके हमारे राजतंत्र और समाज की स्थिरता और आर्थिक सुधार के कठिन कार्य को बनाए रखने के हमारे इरादे के प्रति संदेह उत्पन्न कर चोट पहुंचाई है। हम ऐसे संदेहों को सहन नहीं कर सकते। जो लोग हमारे राष्ट्र को धर्म, जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं उनसे मैं प्रसिद्ध उर्दू के शायर इकबाल की इन पंक्तियों के जरिये अनुरोध करना चाहूंगा :

"सूनी पड़ी हुई है, मुद्दत से दिल की बस्ती,
आओ इक नया शिवाला इस देश में बनायें।"

जैसे इन्दिरा जी ने एक बार कहा था घृणा हटाओ न कि खून बहाओ।

हमारी आर्थिक पुन:संरचना की इस महत्वपूर्ण अवस्था में आर्थिक नीति के लिए प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं :

—यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीतिकारी सम्भावनाएं प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित हों, हमें राजकोषीय सुधार को अवश्य जारी रखना चाहिए; इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों में ही राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अवश्य ही और अधिक कम करना चाहिए।

—पिछले दो वर्षों के दौरान व्यय को सीमित रखकर, राजकोशीय कौशल के लिए बनाई गई गुंजाइश को, विशेष रूप से गरीबी-उन्मूलन, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1993-94 में विकास व्यय को एक सशक्त प्रोत्साहन देने के लिए अवश्य प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

—अनिश्चित औद्योगिक पुनरुत्थान को वर्ष 1993-94 में एक मजबूत पुनरुद्धार के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए जिसके बाद आठवीं योजना के अन्तिम तीन वर्षों में एक सशक्त तेजी लाई जा सकती है।

—हमें कर सुधार की अपनी घोषित कार्यनीति के सम्बन्ध में और अधिक प्रगति कर सरल कर प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें कर-दर मध्यम हों तथा करों की वसूली पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए।

—हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी आर्थिक कार्यनीति कृषि को पूर्ण समर्थन दे, जिस पर हमारे अधिकांश लोगों की जीविका और कल्याण निर्भर है; और कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों, जिनमें रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि करने की भारी क्षमता है, को भी समर्थन देना चाहिए।

—अंतत:, निर्यातों को वास्तविक उच्च प्राथमिकता वाला एक राष्ट्रीय प्रयास बनना चाहिए, ताकि विदेशों से विशेष वित्तपोषण की आवश्यकता को जारी रखे बिना हम भुगतान-संतुलन पर यथासम्भव शीघ्रता से काबू पा लें। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी 30 वर्ष से अधिक समय पहले इस बात पर जोर दिया था कि आत्म-निर्भरता के लिए यही एकमात्र अर्थपूर्ण मार्ग है।

वर्ष 1993-94 के लिए व्यय तथा कर प्रस्तावों, जिन्हें मैं शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगा, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए हैं।

इस वर्ष के कमजोर औद्योगिक पुनरुत्थान को अगले वर्ष एक सशक्त पुनरुद्धार में परिवर्तित करने के लिए समुचित ब्याज दरों पर ऋण की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए ऋण की अपर्याप्तता के पीछे एक कारक सरकार द्वारा ब्याज की बाजार दरों से कम दरों पर सांविधिक नकदी अनुपात (एस०एल०आर०) के माध्यम से बैंकों के अधिकांश संसाधनों का पूर्वक्रयाधिकार है। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उधार देने हेतु संसाधनों की बड़ी मात्रा जारी करने की दृष्टि से हमने 1992-93 में सांविधिक नकदी अनुपात को कम करने की प्रक्रिया आरंभ की है। हमारा उद्देश्य अगले तीन वर्षों में सांविधिक नकदी अनुपात इस समय के लगभग 36 प्रतिशत के प्रभावी औसत स्तर को और कम करके लगभग 25 प्रतिशत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक उभरती हुई कुल मौद्रिक एवं ऋण स्थिति को ध्यान में रखकर उक्त कमी की सुनिश्चित चरणबद्धता को घोषित करेगा।

मुद्रास्फीति में अभी तक प्राप्त की गई कमी ब्याज दरों में कमी करने को उचित ठहराती है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दर को 12 प्रतिशत से 11 प्रतिशत करने सम्बन्धी कमी को अलग से अधिसूचित कर रहा है। इसके साथ-साथ वाणिज्यिक अग्रिमों पर उधार देने की 18 प्रतिशत की न्यूनतम दर को कम करके 17 प्रतिशत किया जा रहा है। मेरी यह आशा है कि ब्याज दरों में कमी करने से आगामी वर्ष में आर्थिक पुनरुत्थान में सहायता मिलेगी। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति में और कमी आएगी, ब्याज की दरों में आगे कमी करने की गुंजाइश होगी।

हमारे देश में कोई भी ऐसी आर्थिक नीति सफल नहीं हो सकती जो व्यापक आधार वाले और न्यायसंगत विकास के समर्थन देने में कृषि की केन्द्रीय भूमिका को स्वीकार नहीं करती हो। हमारी सरकार आर्थिक नीति तैयार करने में कृषि, कृषि-प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से वचनबद्ध है।

कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और इसे लाभकारी बनाने का एक प्रमुख साधन, किसानों को, लाभकारी कीमतें प्रदान करने का आश्वासन देना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को, विनिष्टियों की लागत में हुई वृद्धियों की तुलना में प्रतिपूर्ति भी की जाए, पिछली खरीफ फसल और आगामी रबी फसल के लिए वसूली मूल्यों में काफी अच्छी वृद्धि की गई है। सरकार की यह भी नीति है कि देश के भीतर कृषि उत्पादों के संचलनों पर प्रशासनिक प्रतिबंध न लगाए जाएं। हमारे किसानों को घरेलू बाजार में उपलब्ध मूल्यों का पूर्ण लाभ अवश्य मिलना चाहिए।

कृषि ऋण, कृषि और मोटे तौर पर ग्रामीण विकास के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण निविष्टि है। संस्थागत स्रोतों से ग्रामीण ऋण के प्रवाह के वर्ष 1992-93 में 13,800 करोड़ रुपए से बढ़कर 1993-94 में 16,500 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है, जो कि 20 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। बैंकों को नाबार्ड की निवेश पुनर्वित्त सहायता में 22 प्रतिशत की वृद्धि होने से यह चालू वर्ष में 2,300 करोड़ रुपए से, 1993-94 में 2,800 करोड़ रुपए हो जाएगी। इन सीमाओं के अन्तर्गत, नाबार्ड ने प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए नवीन एकमुश्त उपाय किए हैं। लघु सिंचाई के लिए मियादी उधारों से 3.75 लाख कुंओं की खुदाई और 6 लाख पम्प सैट लगाने में सहायता मिलेगी। बैंक उधारों के नाबार्ड पुनर्वित्त-पोषण की दर को उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत तक और कृषि तथा संबद्ध कार्य-कलापों की शत-प्रतिशत निर्यातोमुखी इकाइयों के निवेश के सम्बन्ध में भी इसकी वृद्धि की जा रही

है। नाबार्ड 125 करोड़ रुपए के परिव्यय से पांच चुने हुए जिलों में ग्रामीण उद्योगों के सघन विकास के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करेगा। नाबार्ड कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में नवीन निवेशों की सहायतार्थ 5 करोड़ रुपए के आरंभिक संग्रहण से एक उद्यम पूंजी निधि और सहकारी बैंकों में प्रबन्ध प्रणालियों और दक्षताओं को सुधारने में सहायता देने के लिए 10 करोड़ रुपए के आरम्भिक संग्रहण से एक सहकारी विकास निधि की स्थापना करने जा रहा है। वर्ष 1993-94 में हम कृषि ऋण प्रणाली जिसे तथाकथित ऋण माफी योजना के रहते बहुत नुकसान हुआ है, को फिर से मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि यह पूंजी निर्माण और हमारी कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का एक अधिक कारगर साधन बन सके।

भारतीय उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के उच्च स्तरों को धीरे-धीरे कम करने और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने की हमारी कार्यनीति से भारतीय कृषि को स्पष्ट रूप से सहायता मिलेगी। इससे उच्च औद्योगिक कीमतें, जो किसान को देनी पड़ती हैं, कम होंगी। इससे एक अधिक प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दर सुनिश्चित होगी, जिससे हमारे कृषि और कृषि-आधारित निर्यात अधिकाधिक लाभकारी होंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव देना चाहता हूं कि मध्यावधि में ये परिवर्तन विशेष आर्थिक सहायताओं के किसी कार्यक्रम की तुलना में कृषि उत्पादकों की सहायता करने में अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण के दौरान मैंने संकेत दिया था कि सरकार वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के गठित नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित करना चाहती है। प्रतिभूति घोटाले, जिसका अप्रैल, 1992 में पता चला था, ने कुछ कमियां उजागर की हैं, जिन्होंने वित्तीय क्षेत्र में सुधार की जरूरत को अत्यावश्यक बना दिया है। पिछले वर्ष आरम्भ किया गया प्रमुख सुधार आय की पहचान के नए मानदण्ड शुरू करना और डूबे हुए ऋणों के लिए व्यवस्था करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारी गई बासले समिति मानदण्डों के अनुरूप नई पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का निर्धारण करना था। इन नए मानदण्डों से यह सुनिश्चित होगा कि बैंकों की बहियां उनकी वित्तीय स्थिति को अधिक विशुद्ध रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारी गई लेखाकरण प्रणालियों के अनुसार प्रदर्शित करेंगी। इन परिवर्तनों से बैंकों के निष्पादन का मूल्यांकन करने की हमारी दक्षता में सुधार होगा और इससे भविष्य में बैंकों का पर्यवेक्षण भी अधिक कारगर होगा।

तथापि, नए मानदण्डों के कारण बैंकों को अपने पिछले पोर्टफोलियो में डूबे हुए और संदिग्ध अग्रिमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि के लिए बड़े प्रावधान करने होंगे। चूंकि प्रावधान संबंधी मानदण्ड दो चरणों में आरम्भ किए गए हैं, इसलिए पहला प्रभाव 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुभव किया जाएगा और इससे आगे प्रभाव अगले वर्ष दिखायी देगा। परिणामी हानियां बैंकों की पूंजी, जो नई पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के रहते हुए पहले ही अपर्याप्त है, को समाप्त-प्राय: कर देंगी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की व्यवहार्यता और वित्तीय स्थिति की सुरक्षा करने के लिए प्रावधान मानदण्डों के प्रथम चरण को लागू करने से उत्पन्न अन्तर को पूरा करने हेतु मैं 1993-94 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में 5,700 करोड़ रुपए की विशाल पूंजी के अंशदान के लिए प्रावधान कर रहा हूं। तथापि बजट से तत्काल कोई निवल बहिर्गमन नहीं होगा, क्योंकि सरकार का अंशदान सरकारी बांडों के रूप में होगा; लेकिन इन बांडों पर ब्याज अदायगी और उनके अंततः विमोचन से भविष्य में बजट पर वास्तविक भार आएगा। यह कीमत हमें बैंकों में दीर्घकाल से सहन की जा रही प्रबंध संबंधी प्रणालियों और उधार देने की किस्मों, जिन्होंने पोर्टफोलियो

गुणवत्ता और वसूलियों पर अपर्याप्त ध्यान दिया, के कारण चुकानी पड़ रही है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि बैंकों को इतनी भारी मात्रा में पूंजी देते समय प्रत्येक बैंक से विशिष्ट वचनबद्धताएं अपेक्षित होंगी कि उनकी भावी प्रबंध पद्धतियां पोर्टफोलियो गुणवत्ता का एक उच्च स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करेंगी ताकि यह समस्या फिर उत्पन्न न हो।

बड़ी मात्रा में पूंजी प्रदान करने से भी केवल तात्कालिक समस्या का निदान होगा। अगले वर्ष प्रावधान के दूसरे चरण के कारण अतिरिक्त हानियां उत्पन्न होंगी। इसके अलावा, पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं भी चरणबद्ध तरीके से आरम्भ की जा रही हैं और इसके कारण वर्ष 1994-95 और वर्ष 1995-96 में अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ेगी। इस भार को अकेले बजट द्वारा दुर्लभ संसाधनों, जो विकास, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, को हानि पहुंचाए बिना वहन नहीं किया जा सकता। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जो ऐसा करने की स्थिति में हैं, अगले तीन वर्षों के दौरान पूंजी आवश्यकताओं में उनकी कमी को पूरा करने के लिए उन्हें नई इक्विटी जुटाने हेतु पूंजी बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी हमारे बैंकों की उनके उधारों के विस्तार में सहायता करेगी अन्यथा जिसमें पूंजी अपर्याप्तता के कारण बाधा पड़ती। सरकार अपने अधिकांश स्वामित्व को जारी रखेगी और इसलिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखेगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए इस वर्ष बाद में आवश्यक विधान बनाया जाएगा।

यदि बैंकों को डूबने वाले ऋणों के लिए प्रावधान करने हैं, तब उन्हें अपने डूबने वाले ऋणों पर प्रतिभूतियां भी अवश्य वसूलने के योग्य बनाना चाहिए। इस समय बैंक देयताएं वसूल करने की कानूनी प्रक्रिया बड़ी कष्टसाध्य है और न्यायालयों में मामले वर्षों तक चलते रहते हैं। इसलिए, सरकार ने विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि वसूलियां करने के लिए बैंक कानूनी कार्रवाई शीघ्रता से कर सके। इस पर अमल करने के लिए विधान इस वर्ष के दौरान लागू कर दिया जाएगा।

प्रतिभूति घोटाले ने बैंकों के पर्यवेक्षण की मौजूदा प्रणालियों में कमजोरियों को भी उजागर किया है। नरसिम्हम समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पर्यवेक्षणीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में ही एक पृथक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है।

बैंकिंग प्रणाली में सुधार के साथ-साथ हम पूंजी बाजारों में सुधार करने के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि निवेशक को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से बनाए गए उपयुक्त नियमों और विनियमों के अधीन व्यापार और निपटान तीव्रता और पारदर्शिता के साथ हों। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे लगभग बारह महीने पूर्व सांविधिक हैसियत और अधिकार प्रदान किए गए थे, को यह परिवर्तन लाने का कार्य सौंपा गया है। मेरे पिछले बजट भाषण में, जैसा वचन दिया गया था, वित्त मंत्रालय में पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय समाप्त कर दिया गया है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम के अधीन लगभग सभी अधिकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रत्यायोजित अथवा अन्तरित कर दिए गए हैं।

पूंजी बाजार में सुधार करने के लिए चालू वर्ष में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

अंतरंग व्यापार (इन्साइडर ट्रेडिंग), म्यूचुअल फंडों के प्रचालन, दलालों के पंजीकरण, मर्चेंट बैंकरों और अन्य माध्यस्थों से निपटने के लिए नियम और विनियम अधिसूचित किए गए हैं। मेरे पिछले बजट भाषण में, पूंजी बाजारों में निवेश करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति देने की घोषित योजना कार्यान्वित कर दी गई है और कई अनुमोदन दिए गए हैं। निजी क्षेत्र के कई म्यूचुअल फंडों को हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए एक कंपनी संस्थापित की गई हैं, जिसके आदर्श स्टॉक एक्सचेंज के रूप में काम करने की आशा है। देश भर में दलाल इसके सदस्य होंगे, जो आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं के माध्यम से देश भर में व्यापार करेंगे। राष्ट्रीय स्वीकृति और निपटान प्रणाली सहित एक केन्द्रीकृत आगार की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प हैं कि पूंजी बाजार में वर्ष 1993-94 के दौरान और अधिक सुधार कार्यान्वित किए जाएं, ताकि पूंजी बाजार निवेश के लिए पर्याप्त मात्रा में निधियां जुटा सके। प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उसे अतिरिक्त अधिकार देने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम को संशोधित करने का निर्णय किया है।

बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजारों में चल रहे सुधारों के साथ-साथ बीमा उद्योग में ऐसे ही सुधारों की आवश्यकता पर बल देना जरूरी है, जिसका उद्देश्य विनियमों और पर्यवेक्षण के अधीन एक अधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाना है। मैं इन मामलों की गहराई से जांच करने और छः महीने के भीतर इसकी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में विनिमय दर प्रबंध की एक नई प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके अधीन एक दोहरी विनिमय दर व्यवस्था शुरू की गई थी और पूंजीगत वस्तुओं की अधिकांश मदों, कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा संघटकों पर आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। बाजार में, विदेशी मुद्रा की खरीद से ये मदें मुक्त रूप से आयात योग्य हो गई थीं। इस प्रणाली ने काफी सुचारू रूप से कार्य किया है और बाजार विनिमय दर असाधारण रूप से स्थिर रही है। फिर भी, दोहरे दर का अस्तित्व निर्यातकों और अन्य विदेशी मुद्रा अर्जकों को नुकसान पहुंचाता है, जिन्हें अपनी कमाई का 40 प्रतिशत भाग सरकारी दर के अनुसार अभ्यर्पित करना होता है और वे केवल 60 प्रतिशत पर ही उच्च बाजार दरों का लाभ प्राप्त करते हैं। कई निर्यातकों का कथन है कि यह वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातकों पर कर लगने के समतुल्य हो जाता है, जिसे ऐसे समय जारी रखने का औचित्य नहीं हो सकता जब निर्यात को हमारा सर्वाधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में दम है और पिछले वर्ष का अनुभव इस विश्वास के लिए आधार प्रदान करता है कि हम विनिमय दरों को एक कर सकते हैं और तब भी विनिमय दर में स्थिरता के समुचित स्तर के साथ भुगतान-संतुलन को बनाए रख सकते हैं। इसलिए सरकार ने दोहरी दर व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय किया है। सभी निर्यातकों तथा साथ ही विदेशों में हमारे कामगारों जैसे अन्य विदेशी मुद्रा अर्जकों को अब इसके बाद अपनी कमाई को बाजार दर पर शत-प्रतिशत परिवर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। अब इसके बाद सभी आयातों के लिए भी बाजार दर पर भुगतान करना होगा। नई प्रणाली के ब्यौरे अलग से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह उपाय

निर्यातों को विशेष बढ़ोतरी प्रदान करेगा और आगे चलकर यह विदेशी मुद्रा के सरकारी माध्यमों की ओर प्रवाह को प्रोत्साहित करेगी। विदेश में कार्यरत भारतीय कामगार विशेष रूप से केरल जैसे राज्य से गये कामगारों ने हमारे भुगतान संतुलन को मजबूती प्रदान करने में बहुत अधिक योगदान दिया है। दोहरी दरों को समाप्त करना उनके योगदान के प्रति हमारी भरपूर सराहना का द्योतक है।

निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय यथासम्भव अधिकाधिक निर्यात प्रतिबन्धों को दूर करने की दृष्टि से उन मदों की सूची की समीक्षा कर रहा है, जिनके निर्यात पर कोई-न-कोई प्रतिबंध लगा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि निर्यातों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध रहेंगे। भारतीय बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है कि निर्यात ऋणों की मात्रा उनके कुल अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत हो। रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर को एक प्रतिशत बिन्दु तक कम किया जा रहा है। निर्यातों को समर्थन प्रदान करने के अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्यात ऋण के मामले में ब्याज कर को छोड़ दिया जाएगा। इससे निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों में अतिरिक्त रूप से कुछ कमी आयेगी। जब मैं बाद में अपने भाषण में कर प्रस्तावों की चर्चा करूंगा तब मैं निर्यातकों के लिये दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में और कुछ कहना चाहूंगा।

विदेशी निवेश के संबंध में एक नई नीति, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने और विश्वव्यापी गठबन्धन स्थापित करने की हमारी कार्य नीति का अभिन्न अंग रही है, जो उभर रही विश्व अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र में अब तक किए गए नए प्रयासों के उत्साहावर्द्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ज्यों-ज्यों हमारे सुधार आगे बढ़ेंगे और उनमें गति आएगी, हम निजी निवेश के उस काफी बड़े हिस्से को आकर्षित करने की आशा करते हैं जो मौजूदा तौर पर एशिया में चीन और वियतनाम सहित अनेक विकासशील देशों की ओर प्रवाहित हो रहा है। सरकार ने बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एम०आई०जी०ए०) समझौते (कॅनवेन्शन) पर हस्ताक्षर किए हैं और सदस्यता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होते ही हमारे एम०आई०जी०ए० में औपचारिक तौर पर शामिल होने की संभावना है। यू०के०, जर्मनी और अमरीका सहित अनेक देशों ने हमारे साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर करने में रुचि दिखाई है। सरकार ने इस मामले में द्विपक्षीय वार्ताओं में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।

औद्योगिक आधुनिकीकरण और विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों के सृजन के लिए हमारे आधारभूत ढांचे में भारी विस्तार और गुणवत्तात्मक सुधार की आवश्यकता है। यह विद्युत उत्पादन, दूरसंचार और सड़कों के मामले में विशेष रूप से सत्य है। परंपरागत रूप से ये क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के परिरक्षित उद्योग रहे हैं। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश का पर्याप्त विस्तार निश्चित रूप से आवश्यक है। लेकिन देश की आवश्यकताएं ऐसी हैं, जिन्हें केवल उपयुक्त समय सीमा में पूरा करना सरकारी क्षेत्र की क्षमता से काफी बाहर हैं। इसलिए, सरकार ने सरकारी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की पूर्ति करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी और सहभागिता को प्रोत्साहित करने की एक नीति अपनाई है। ऐसा निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियों, कार्यविधियों और इन क्षेत्रों के विनियमनकारी ढांचे में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। सरकार का आवश्यकता के अनुसार ऐसे परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

पिछले दो वर्षों के दौरान, आर्थिक क्रियाकलापों में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं, ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जिसमें हमारे देशवासियों की शक्ति का प्रयोग नवीकरण, उत्पादन तथा विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तथापि, मुझे यह लगातार बताया जा रहा है कि नीति स्तर पर किए गए उदारीकरण के बावजूद बहुत से क्षेत्रों में हमारी कार्यप्रणालियां पुरानी हैं और बाधाएं डालने वाली हैं। हमारे बहुत से कानूनों को उभरते हुए नए आर्थिक वातावरण के अनुसार ढालने के लिए उनकी पूरी तरह से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक मंत्रालय में एक विशेष समीक्षा दल गठित किया जाएगा जो नई नीतियों के संदर्भ में परिवर्तनों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मौजूदा कानूनों और कार्यप्रणालियों की समीक्षा करेगा। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से ऐसे ही कदम उठाएंगी क्योंकि उन्हें नए वातावरण में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

अब मैं वर्ष 1992-93 के लिए संशोधित अनुमानों की ओर आता हूं।

हमने व्यय पर कठोर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन बजट अनुमानों में कुछ वृद्धियां करना अपरिहार्य था। खाद्य, उर्वरक और निर्यात आर्थिक सहायताओं के सम्बन्ध में 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा है। खाद्य आर्थिक सहायता के लिए अतिरिक्त आवश्यकता उच्च वसूली मूल्यों के प्रभाव को समाहित करने के लिए निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने में विलम्ब के कारण है। निर्यात आर्थिक सहायता के लिए अधिक प्रावधान, नकद प्रतिपूरक सहायता और माने गये निर्यातों के लिए लाभों की निरन्तरता के सम्बन्ध में प्रक्रियाधीन दावों के निपटान के कारण है। उर्वरकों के सम्बन्ध में वृद्धि यूरिया के मूल्यों में कमी और उच्चतर निविष्टि लागतों के कारण है। इसके अतिरिक्त, मैंने किसानों हेतु उन उर्वरकों की खरीद के लिए 340 करोड़ रुपये की एक-बार की सहायता के रूप में प्रावधान किया है, जिसके मूल्य विनियंत्रित किए गए थे। देश के कुछ हिस्सों में गड़बड़ी की स्थितियों में सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करानी पड़ी हैं। जबकि वास्तविक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा रहा है, मैंने इस समय संशोधित अनुमानों में 285 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त प्रावधान शामिल किया है। यदि आगे और प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है, तब हम आवश्यक पूरक अनुदानों के लिए सदन में उपस्थित होंगे। इन अनुदानों तथा अन्य वृद्धियों को, लघु बचतों के संग्रहण के आधार पर राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों की आवश्यकताओं में 1,300 करोड़ रुपये की कटौती करके प्रतिसंतुलित कर लिया गया है। लघु बचतों के संग्रहण में गिरावट आना चिंता का विषय रहा है तथा निवेशकों को मिलने वाले प्रतिफल की दर में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इसके फलस्वरूप हाल ही के महीनों में बचतों के संग्रहण में अभिवृद्धि होने की प्रवृत्ति दिखाई दी है। इन सब स्थितियों के परिणामस्वरूप कुल आयोजना-भिन्न व्यय में 3,278 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

आयोजना पक्ष में, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय योजना हेतु बजटीय सहायता में वृद्धि की गई। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के लिए 630 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई; यह निधि आर्थिक सुधारों संबंधी हमारी कार्य नीति का प्रमुख अवयव है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 250 करोड़

रुपए का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया। ग्रामीण विकास के लिए प्रावधान की राशि में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं, विशेष रूप से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 1228 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा रही है जहां इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को देखते हुए बजट अनुमानों में किए गए प्रावधान की तुलना में अधिक राशि का आवंटन किया जाना न्यायसंगत है।

आयोजना और आयोजना-भिन्न दोनों प्रकार के व्यय को मिलाकर, संशोधित अनुमानों में कुल 1,24,726 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है जबकि बजट अनुमानों में यह राशि 1,19,087 करोड़ रुपए थी।

इन अतिरिक्त व्ययों की तुलना में, बेहतर कर संग्रहण और अपतटीय कच्चे तेल पर मिलने वाली उच्च रायल्टी के कारण राजस्व प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई है। बाजार ऋणों तथा लघु बचत प्राप्तियों के अन्तर्गत पूंजीगत प्राप्तियां बजट अनुमानों में की गई व्यवस्थाओं की तुलना में कम हैं; लेकिन इस अंतर को 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों से होने वाली अधिक प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया गया है; ये हुंडियां सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए नए पत्र (इन्सट्रूमेंट) हैं।

संशोधित अनुमानों में कुल प्राप्तियों की राशि 1,17,524 करोड़ रुपए है जबकि इसकी तुलना में बजट अनुमानों में यह राशि 1,13,696 करोड़ रुपए थी। बजट घाटे की अनुमानित राशि 7,202 करोड़ रुपए है तथा वर्ष का राजकोषीय घाटा 36,722 करोड़ रुपए बैठता है। ये आंकड़े बजट अनुमानों में परिकल्पित आंकड़ों से कुछ ऊंचे हैं लेकिन फिर भी ये वृहत-आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से सहन करने योग्य सीमाओं के भीतर हैं।

अब मैं वर्ष 1993-94 के बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

पिछले वर्ष हमारे सामने आने वाली संसाधन संबंधी बाधाओं के कारण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों पर एक जबरदस्त अंकुश-सा लग गया, जिसका हम वर्ष 1992-93 में वित्तपोषण कर सकते थे। वर्ष 1992-93 (बजट अनुमान) में केन्द्रीय आयोजना की कुल राशि पिछले वर्ष में की गई व्यवस्था के मुकाबले केवल 12.6 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 1992-93 के दौरान राजकोषीय स्थिति में सुधार होने तथा मुद्रास्फीति में कमी आने से अब हम राजकोषीय घाटे में निरन्तर सुधार को सुनिश्चित करते हुए विकास आयोजना को बढ़ावा देने की स्थिति में हैं। तदनुसार, वर्ष 1993-94 के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 63,936 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो कि वर्ष 1992-93 के 48,407 करोड़ रुपये के आंकड़े की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।

केन्द्रीय आयोजना को 23,241 करोड़ रुपए तक की सीमा तक बजटीय सहायता से वित्तपोषित किया जाएगा जो कि वर्ष 1992-93 में प्रदान की गई 18,501 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है। केन्द्रीय आयोजना परिव्यय की 40,695 करोड़ रुपये की शेष धनराशि की व्यवस्था आंतरिक और बजटेतर संसाधनों से की जाएगी जो कि वर्ष 1992-93 में 29,906 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 36 प्रतिशत बढ़ोतरी की द्योतक है। वर्ष 1993-94 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं हेतु मैं 18,010 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान कर रहा हूं जबकि वर्ष 1992-93 में यह सहायता राशि 16,111 करोड़ रुपए थी। केन्द्र और राज्यों की आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सरकार के बजट में से

दी जाने वाली कुल बजटीय सहायता, जो वर्ष 1992-93 में 34,612 करोड़ रुपये थी, में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि करके वर्ष 1993-94 के लिए इसे 41,251 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आयोजना के लिए बजटीय सहायता में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने से प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित केन्द्रीय आयोजना कार्यक्रमों को भी काफी बढ़ावा मिला है, ये कार्यक्रम बजटीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के आगामी वर्ष के परिव्यय में 62 प्रतिशत की बहुत बड़ी वृद्धि करके इसे 5010 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा पूंजी निर्माण दोनों को ही अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। जवाहर रोजगार योजना के आवंटन की राशि को बढ़ाकर 3306 करोड़ रुपये निर्धारित किया जा रहा है जबकि चालू वर्ष के दौरान इस योजना के लिए आवंटित राशि 2046 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य रोजगार के 1,10,000 लाख श्रम-दिवस उत्पन्न करना है। यह प्रस्ताव है कि स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसम) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 लाख युवा व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है और प्रावधान राशि को 1992-93 में 460 करोड़ रुपये से बढ़ा कर आगामी वर्ष के लिए 740 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए भी अधिक आवंटन राशियों की व्यवस्था की गई है। जैसा कि संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1991 में परिकल्पना की गई है, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के फलस्वरूप विकेन्द्रीकृत योजनाओं और विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। हम पंचायती राज संस्थाओं के एक माध्यम के रूप में विकास और सामाजिक न्याय में भाग लेने को बढ़ावा देने के श्री राजीव गांधी के सपने को साकार करने के अपने निश्चय पर दृढ़ हैं।

आठवीं योजना में मानव संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे हृदय के बहुत निकट है। इसलिए यह घोषणा करते हुए मुझे खासतौर पर खुशी महसूस हो रही है कि शिक्षा के लिए परिव्यय की राशि 952 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1310 करोड़ रुपये निर्धारित की जा रही है जो कि 37.6 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। संतोषजनक स्तर की प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता, विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं के लिए, की व्यापक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के आधुनिकीकरण के लिए पूर्वापेक्षा है। माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूर्ण साक्षरता अभियान का विस्तार नए क्षेत्रों तक होता जा रहा है तथा अब इस योजना को 182 जिलों में कार्यान्वित करके लगभग 430 लाख प्रौढ़ विद्यार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने तथा ऐसे जिलों, जहां पूर्ण साक्षरता अभियान सफल रहे हैं और जिसके फलस्वरूप वहां प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ गई, में एक नई स्कीम शुरू की जा रही है। प्रारम्भिक शिक्षा का व्यापीकरण करने सम्बन्धी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन जिलों में जिला-विशिष्ट तथा जनसंख्या-विशिष्ट योजनाएं तैयार की जा रही हैं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े लगभग 200 जिलों, जहां पर महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत दर से कम है, में से बीस से लेकर पच्चीस जिलों को 1993-94 में जिला योजनाएं तैयार करने के लिए चुना जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और उन्नयन को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नागालैंड में एक विश्वविद्यालय तथा असम में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया है।

स्वास्थ्य के लिए 483 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो चालू वर्ष के बजट में इसके लिए निर्धारित 302 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा संक्रामक और अन्य रोगों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए खर्च किया जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है; इस शीर्ष के अन्तर्गत चालू वर्ष के 1000 करोड़ रुपये राशि के प्रावधान को बढ़ा कर आगामी वर्ष के लिए 1,270 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से 3,250 लाख अमरीकी डालर की लागत वाला एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से, सामाजिक-सुरक्षा तन्त्र योजना के अन्तर्गत हमारे देश के जनसंख्या की दृष्टि से पिछड़े 90 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आधारभूत ढांचों में सुधार करने के प्रयोजन से सहायता प्रदान की जाएगी।

पिछले वर्ष स्थापित किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार कर रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए चालू वर्ष के 360 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में आगामी वर्ष के लिए 474 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे हमें उक्त महत्वपूर्ण योजना के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कल्याण मंत्रालय के लिए प्रावधान राशि 530 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 630 करोड़ रुपये कर दी गई। इसमें से 73 करोड़ रुपये की राशि सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए खर्च की जाएगी। अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तौर पर 247 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के कार्यों का और अधिक विस्तार किया जाएगा।

सरकार कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मानती है। कृषि मंत्रालय की आयोजनागत स्कीमों जिनमें पशुपालन और डेरी कारोबार भी शामिल हैं, के लिए 1408 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में 36 प्रतिशत की वृद्धि करके 1918 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि से सम्बन्धित परिव्यय का अधिकांश भाग राज्य की आयोजनाओं में शामिल है।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, दूरसंचार, रेलवे तथा परिवहन जैसे आधारभूत क्षेत्रों की आवश्यकताओं की भी अवहेलना नहीं की गई है। इन क्षेत्रों के निवेश सम्बन्धी कार्यक्रमों को सरकारी उद्यमों अथवा विभागीय तौर पर चलाये जाने वाले वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है तथा इन संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आंतरिक और बजटेतर संसाधनों के द्वारा आयोजना परिव्यय के लिए धनराशि की व्यवस्था कर लेंगे। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए आयोजना परिव्यय को चालू वर्ष के 6,208 करोड़ रुपये की राशि से लगभग दोगुना करके 12,114 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। विद्युत क्षेत्र के चालू वर्ष के 5167 करोड़ रुपये के परिव्यय में 22 प्रतिशत वृद्धि करके इसके लिए 6,269 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सड़कों के लिए प्रावधान की राशि 464 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 595 करोड़ रुपये निर्धारित कर दी गई है। रसायन और पैट्रो-रसायन के लिए भी परिव्यय राशि 763 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1,206 करोड़ रुपये कर दी गई है। रेलवे के लिए आयोजना परिव्यय

5,700 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 6,900 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जिसमें कोंकण रेलवे निर्माण निगम लिमिटेड के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

अब मैं आयोजना-भिन्न व्यय की चर्चा करूंगा। मैं सदन का ध्यान ब्याज अदायगियों के भारी बोझ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस बारे में, चालू वर्ष के 32,500 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में इस मद में वर्ष 1993-94 के लिए 38,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ब्याज का यह भारी बोझ सरकारी ऋण की बढ़ती हुई मात्रा के कारण है जो स्वयं ही विगत के साल दर साल होने वाले बड़े राजकोषीय घाटों को दर्शाता है। तथापि, राजकोषीय घाटे में अपेक्षित कमी होने और इस प्रकार सरकारी ऋणों में भी कमी आने से यह आशा की जाती है कि 1995-96 तक इस मद में तेजी से गिरावट आएगी।

रक्षा संबंधी व्यय के लिए प्रावधान की राशि चालू वर्ष के 17,500 करोड़ रुपये से बढ़ा कर आगामी वर्ष के लिए 19,180 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। उर्वरकों तथा निर्यात संबंधी आर्थिक सहायता राशियों की आवश्यकताएं काफी कम हो जाएंगी जो इन आर्थिक सहायता राशियों को तर्कसंगत बनाने के लिए पहले से ही किए गए उपायों के प्रभाव को दर्शाती हैं। कार्म ऋण छूट स्कीम पर 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा; तथा इसके साथ ही इस स्कीम के अंतर्गत जो कि 1991 में शुरू की गई थी, अदायगी करने संबंधी सरकार के वचन की भी पूर्ति हो जाएगी। चालू वर्ष के 2,800 करोड़ रुपते की तुलना में, आगामी वर्ष के लिए मैं खाद्य आर्थिक सहायता के तौर पर 3,000 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था कर रहा हूं। सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता का बोझ एक समुचित स्तर पर ही बना रहे तथा इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि समाज के कमजोर वर्गों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। 1993-94 के लिए अन्य आयोजना-भिन्न व्यय, जिसमें ब्याज पर किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं है, के प्रावधान की राशि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 3,180 करोड़ रुपये कम है। पिछले वर्षों की भांति, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, जो अगले वर्ष देय हो जायेगा, के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। सभी मंत्रालयों को अनुमोदित बजट प्रावधान में से ही इस अतिरिक्त खर्च को वहन करना होगा।

अब मैं प्राप्तियों का उल्लेख करूंगा। चालू वर्ष में 78,782 करोड़ रुपये की तुलना में कराधान के मौजूदा स्तर के अनुसार 89,389 करोड़ रुपये के सकल कर राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। चालू वर्ष के संशोधन अनुमानों में 20,525 करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वर्ष के करों में राज्यों का हिस्सा 22,590 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वर्ष के 3,670 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में, बाजार उधारों के लिए मैं 3,700 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहा हूं। वापसी अदायगियों की राशि घटाने के बाद, विदेशी सहायता की राशि 6,819 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष में यह राशि 5,374 करोड़ रुपये थी। हालांकि, अगले वर्ष भारी संख्या में जमाराशियों की परिपक्वता अवधि पूरी हो जायेगी फिर भी यह अनुमान है कि अगले वर्ष के दौरान लघु बचतों की निवल संग्रहण राशि मौजूदा चालू वर्ष के 5,500 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच जाएगी। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तरह सरकारी उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियों के लिये 3,500 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था कर रहा हूं। मौजूदा कराधान के स्तरों के अनुसार 1,30,990 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियों तथा 1,31,323 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है जो 333 करोड़ रुपये के अंतर को दर्शाता है।

अब मैं वर्ष 1993-94 के लिए कर प्रस्तावों पर आता हूं।

इन प्रस्तावों को तैयार करने में मैं एक तरफ कर ढांचे में व्यापक सुधार की अपेक्षाओं और दूसरी तरफ विकास आयोजना में हुई विशाल वृद्धि के वित्तपोषण के लिए राजस्वों को बचाने की आवश्यकता की परस्पर-विरोधी अपेक्षाओं के संबंध में अत्यन्त सचेत रहा हूं। पिछले वर्ष वैयक्तिक आय कराधान में चैलेय्या समिति की सिफारिशों पर आधारित महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। चैलेय्या समिति की विस्तृत सिफारिशों के प्राप्त हो जाने तक निगमित कराधान के सुधार को आस्थगित रखा गया था। अब ये सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं। समिति ने हाल ही में अप्रत्यक्ष करों पर भी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें सीमा-कर शुल्कों में महत्वपूर्ण कमी करने के साथ-साथ उत्पाद-शुल्कों के युक्तिकरण और उनके सरलीकरण के बारे में सिफारिश की गई है।

मैं चैलेय्या समिति की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों पर की गई सिफारिशों के मुख्य प्रतिबल को स्वीकार करता हूं। हमें यथासंभव प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में तेजी से मध्यम कर दरों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए, जिससे बेहतर कर वसूली को प्रोत्साहन मिलेगा यदि इसे कर आधार को विस्तृत बनाने के प्रयासों से अनुपूरित किया जाए। हमें निम्न से मध्यम सीमा-शुल्कों की व्यवस्था की ओर भी अवश्य जाना चाहिए, जो भारत के दक्ष और प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगीकरण के लिए अनिवार्य है। उत्पाद-शुल्कों को निम्न दरें रखकर हमें इन्हें सरलीकृत करना चाहिए और हमारा दीर्घावधिक लक्ष्य मूल्य-वर्धित कर प्रणाली जैसे कि अधिकांश देशों में है, की ओर जाने का होना चाहिए। लेकिन, राष्ट्रव्यापी मूल्य-वर्धित कर प्रणाली रातों-रात शुरू नहीं की जा सकती। ऐसी प्रणाली की रूपरेखा के बारे में केन्द्र और राज्यों के बीच एक व्यापक सहमति करनी होगी। एक सुविज्ञ विचार-विमर्श और वाद-विवाद के संवर्धन के लिए मैं राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्था से एक संभव मूल्य-वर्धित कर प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

यद्यपि चैलेय्या समिति की सभी प्रमुख सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं, परन्तु उन्हें इस साधारण कारण से तत्काल कार्यान्वित नहीं किया जा सकता कि ऐसा कर सुधार, जो विस्तृत आधार पर निम्न कर दरों के संग्रहण का समावेश करता हो, प्रायः अल्पावधि में राजस्व में हानि करता है। राजकोषीय विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि राजस्व की हानि की पूर्ति मध्यमावधि में की जाएगी, परन्तु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा तत्काल हो जाएगा और वित्त मंत्री यदि मध्यावधि में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अल्पावधि का ध्यान रखना होता है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे साथ इसमें सहमत होगा कि एक चरणबद्ध परिवर्तन की आवश्यकता है।

परिवर्तन को चरणबद्ध करने में एक मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सभी मोर्चों पर थोड़ा कार्य किया जाए या भविष्य में अन्य क्षेत्रों में की जाने वाली प्रगति की स्पष्ट घोषणा के साथ कतिपय क्षेत्रों में निर्णायक परिवर्तन किए जाएं। मैंने इस विषय में ध्यानपूर्वक विचार किया है और मैं महसूस करता हूं कि सभी मोर्चों पर मामूली सुधारों की तुलना में नाजुक क्षेत्रों में निर्णायक कार्रवाई करना अधिक महत्वपूर्ण है। मौजूदा तौर पर कार्रवाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमा-शुल्कों का है। पिछले दो बजटों में सीमा-शुल्कों में किए गए समायोजनों के बावजूद हमारे शुल्क, विशेष रूप से पूंजीगत सामग्री पर, हमारे अधिकांश प्रतिस्पर्धी देशों के शुल्कों से अभी भी बहुत ऊंचे हैं। इन शुल्कों और परिणामी उच्च पूंजीगत लागतों के रहते हुए हमारे उत्पादक

कभी भी विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं होंगे। यदि उच्च सीमा-शुल्क उन्हें अस्पर्धात्मक बनाते हैं तो हम नए निवेश, घरेलू और विदेशी दोनों, के निर्यात बाजार संबंधी क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर भी, यदि हम विदेशी सहायता पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, तो मौजूदा तौर पर हमें ऐसे निवेशों की ही अत्यंत जरूरत है। इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि हम प्रतिस्थापन की क्या कीमत चुकाते हैं, इस विश्वास से कि आयातों के प्रतिस्थापन से स्वतः ही आत्म-निर्भरता में योगदान मिलता है, एक मात्र स्वदेशी बाजार को लक्ष्य बनाकर उद्योग स्थापित न तो कर सकते हैं और न ही करने चाहिएं। वस्तुतः यह केवल अदक्ष औद्योगीकरण को पोषित करता है जिससे रोजगार बढ़ाने और निर्यात करने की एक अयोग्यता और विदेशी सहायता पर स्थायी निर्भरता पैदा होती है। हमारे उद्योग की उचित सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखते हुए, हमें इस क्षेत्र में साहसिक पहल करनी चाहिए। सामान्यतः सीमा-शुल्क घटने से हुई राजस्व की हानि को उच्च उत्पाद-शुल्कों के माध्यम से पूरा किया जा सकता था। लेकिन, विस्तृत रेंज के उद्योगों में उत्पाद-शुल्कों के युक्तिकरण तथा उन्हें कम करने के लिए बाध्यकारी कारण हैं क्योंकि हमारी बहुत-सी शुल्क अत्यधिक ऊंची हैं और उद्योग के कुछ हिस्से मंदी की स्थितियों से ग्रस्त हैं।

इन परिस्थितियों में माननीय सदस्य सहमत होंगे कि मेरे पास प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में फेर-बदल करने की सीमित गुंजाइश है। चेलैय्या समिति द्वारा सुझाए गए उपायों के अनुरूप निगमित कर ढांचे में प्रमुख सुधार निस्संदेह वांछनीय है। परन्तु पूर्वोक्त कारणों से इसे अगले वर्ष तक आस्थगित रखा जाएगा।

तथापि मेरे पास कतिपय प्रस्ताव हैं जिसके संबंध में देरी नहीं की जा सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का एक बहुत सुन्दर भाग है। लेकिन यह औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा है। लगभग दो वर्ष पहले असम के लोगों ने संसद में अपने प्रतिनिधि के रूप में एक वित्त मंत्री भेजे थे। हाल ही में पड़ोसी राज्यों नागालैण्ड और मेघालय में राज्य विधान सभाओं के चुनावों के मतदान में बहुत दूरदर्शिता दिखाई है। उन्हें सहायता देना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस (आई) को मत देना अच्छी राजनीति के साथ-साथ अच्छा अर्थशास्त्र भी है, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अन्य राज्यों में जिनमें सभी जिले पिछड़े हैं, निवेश के लिए प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव है। तदनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा तथा अंदमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित नए औद्योगिक उपक्रमों के लिए मैं उत्पादन के वर्ष से शुरू करके पांच-वर्षीय करावकाश का प्रस्ताव करता हूं।

एक माननीय सदस्य : इसमें त्रिपुरा नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : इसमें त्रिपुरा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वहां सरकार के प्रदर्शन के कारण।

श्री मनमोहन सिंह : अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। लेनिन ने एक बार कहा था, समाजवाद सोवियत योग जमा विद्युत है। हमें सोवियत लोगों की जरूरत नहीं है लेकिन लेनिन ने आधुनिक अर्थव्यवस्था में विद्युत को सही महत्व प्रदान किया।

हमारी अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण निविष्ट है। इसलिए मैं भारत में किसी भी स्थान पर विद्युत उत्पादन या उत्पादन एवं वितरण के लिये स्थापित किए

नए नए औद्योगिक उपक्रमों के कार्यों और प्रक्रियाओं के संबंध में पांच-वर्षीय करावकाश शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। पांच-वर्षीय करावकाश विद्युत के उत्पादन वर्ष से शुरू होगा।

इन दोनों मामलों में पांच-वर्षीय करावकाश आयकर अधिनियम की धारा 80 Iक का हिस्सा होगा। पांच वर्षीय अवधि के अन्त में ये इकाइयां शेष अवधि के लिए धारा 80 Iक के अन्तर्गत मौजूदा 25-35% के बीच कटौती की हकदार होंगी।

एक स्वच्छतर और अधिक स्वस्थ पर्यावरण के संवर्धन के लिए मैं पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण-नियंत्रण से संबंधित संयंत्र और मशीनरी पर आयकर नियमों के अधीन पूंजीगत लागत पर मौजूदा 40 प्रतिशत की अपेक्षा शत-प्रतिशत ग्राह्य मूल्यह्रास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

अब तक, उच्च शिक्षा की हमारी संस्थाएं लगभग पूर्णतः सरकारी निधियों पर निर्भर रही हैं। चूंकि सरकारी निधियां सीमित हैं, इसलिए हमें उद्योग से इन उच्च शिक्षा संबंधी संस्थाओं के लिये निधि उपलब्ध कराने के तरीकों का पता लगाना चाहिये। ऐसा करने से वे उद्योग के निकट लाई जा सकेंगी और वे इस प्रकार उद्योग की जरूरतों के लिए प्रतिसंवेदी बनेंगी। इसलिए मैं अनुमोदित विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों, प्रबंध संस्थानों और समतुल्य संस्थाओं को दिये जाने वाले अंशदानों पर आयकर कटौती की मौजूदा 50 प्रतिशत दर को बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

आधुनिक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ आधार एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने यह बार-बार सिद्ध किया है कि यदि उन्हें काम करने का उचित वातावरण, उचित प्रेरणा और पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हों तो वे विश्व में किसी अन्य वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से कम नहीं हैं। भारतीय उद्योग को अनुसंधान और विकास पर और काफी अधिक खर्च करने की जरूरत है। ऐसा करने में मैं उद्योग को हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वृहद सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। इस उद्देश्य के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के सम्बन्ध में अनुसंधान में लगी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों के लिए धंधों और व्यवसायों की आय से दिए गए अंशदान पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। यह भारित कटौती केवल उन्हीं अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होगी जो अनुसंधान के प्रयोक्ताओं और उसके उत्पादकों द्वारा निश्चित किए गए हों तथा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए हों।

मैं आयकर की धारा 10क के अधीन वर्तमान में मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को उपलब्ध पांच-वर्षीय करावकाश को, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क) और इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क) में स्थापित इकाइयों को भी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। जुलाई, 1991 में मैंने साफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त हुई आय के संबंध में तीन वर्ष के लिए शत-प्रतिशत कटौती लागू की थी। साफ्टवेयर का अच्छा निर्यात हुआ है तथा मैं एक और वर्ष के लिए अर्थात् निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए यह रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

हमारे पूंजी बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति देने की योजना के अधीन

हमने यह इंगित किया था कि ऐसे निवेशकों को उनके निवेश से आय पर 20 प्रतिशत और दीर्घावधि पूंजी अभिलाभों पर 10 प्रतिशत कर लगेगा। मैं ऐसे निवेशकों के लिए अल्पावधि पूंजी अभिलाभों के सम्बन्ध में भी 30 प्रतिशत की रियायती कर दर उपलब्ध करने का प्रस्ताव करता हूं।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, चेलेय्या समिति की सिफारिशों के आधार पर पिछले वर्ष वैयक्तिक कराधान में काफी सुधार किया गया था। मैं दर ढांचे और छूट सीमा को अपरिवर्तित छोड़ने और केवल कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले वर्ष, संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण, मैं 1 लाख रुपये से ऊपर की वैयक्तिक आय पर अधिभार को 12 प्रतिशत पर ही रखने के लिए बाध्य हुआ था। मैंने चालू वर्ष में अधिभार को हटाने के योग्य हो जाने की आशा की थी परन्तु मैं इसे और एक वर्ष तक जारी रखने के लिए बाध्य हूं। तथापि, मैं वेतन ओर मजदूरी स्रोतों से होने वाली आय से मानक कटौती को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और 75,000 रुपये तक की आय वाली कामकाजी महिलाओं के लिए मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुद्रास्फीति के इन दिनों में वृद्ध लोगों की कठिनाई को समझते हुए मैंने पिछले वर्ष उन वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी सकल कुल आय 50,000 रुपये से कम थी, को 10 प्रतिशत की कर रियायत प्रदान की थी। अब मैं यह रियायत बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और आय सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये से 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले वर्ष, मैंने यह घोषणा की थी कि अनिवासियों से संबद्ध लेन-देनों के सम्बन्ध में अग्रिम निर्णय की एक योजना तैयार की जाएगी। यह योजना तैयार कर ली गई है और मैं एक सांविधिक प्राधिकरण के सृजन के लिए विधायी प्रस्ताव सामने ला रहा हूं, जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। मैं आशा करता हूं कि अनिवासियों द्वारा इस योजना का स्वागत किया जाएगा।

मैं पिछले वर्ष शुरू की गई अनुमानित कराधान की सरलीकृत योजना को परिवहन प्रचालन, एक वाहन को भाड़े पर देने अथवा पट्टे पर देने वाले छोटे सड़क परिवहन प्रचालकों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन की गई अदायगियों को आयकर से पूरी तरह जो छूट प्राप्त है, पिछले वर्ष मैंने यह छूट निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उपलब्ध की थी। मैं अब यह सुविधा सांविधिक प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

विकलांग शिशु का पालन-पोषण करने की मानसिक परेशानी को समझते हुए मैंने पिछले वर्ष विकलांग आश्रितों के अभिभावकों के लिए आयकर कानून के अंतर्गत अनुमेय कटौतियों को 6,000 रुपए से 12,000 रुपए तक बढ़ाया था। मैं अब इस कटौती को आगे 15,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं विकलांग अवयस्कों की उनके माता-पिता की आय से जोड़ी गई आय के संबंध में कटौती की शिशु के अधिकतम 20,000 रुपए की आय की पूर्ण सीमा तक अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

जुलाई, 1991 में अपने पहले बजट भाषण में, मैंने साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के बदनसीब बच्चों की सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था। यह प्रतिष्ठान गृह मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित हो चुका है। मैं अब इस प्रतिष्ठान को किए जाने वाले दान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80 छ के अधीन शत-प्रतिशत की कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान की आय को आयकर से पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

वर्तमान में, धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को प्रत्येक तीन वर्ष में आयकर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना होता है, ताकि उन्हें दिए गए दान छूट के लिए पात्र हो जाएं। कागजी कार्रवाई को कम करने और कार्यविधि को सरलीकृत करने के लिए, मैं आयुक्त द्वारा अनुमोदन की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर पांच निर्धारण वर्ष तक करने का प्रस्ताव करता हूं।

न केवल विश्व अर्थव्यवस्था में बल्कि खेल जगत में भी, मैं भारत को विशिष्टता प्राप्त देखना चाहूंगा। आयकर अधिनियम में स्वीकृत खेल संघों अथवा संस्थाओं की आय के संबंध में छूट की अनुमति देने और उन्हें दिए जाने वाले दानों के संबंध में 50 प्रतिशत कटौती प्रदान करने की व्यवस्था है। ऐसे क्रियाकलापों में खेलकूद के संवर्धन को शामिल करने के लिए मैं अधिनियम की धारा 35 कग के अधीन पात्र परियोजनाओं अथवा योजनाओं के संबंध में नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे अनुमोदित खेलकूद परियोजनाओं और योजनाओं पर व्यय करने के संबंध में शत-प्रतिशत की कटौती प्रदान की जाएगी।

पिछले वर्ष, मैंने प्रत्यक्ष कर के मामलों में मुकदमेबाजी के तत्काल निपटान के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव की विस्तृत रूप से जांच की गई है और मैं इस संबंध में शीघ्र ही एक विधान लाने की आशा रखता हूं। प्रत्यक्ष कर संहिता के संबंध में, सरकार इस विषय पर चेलैय्या समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेगी।

धन-कर अधिनियम को पिछले वर्ष काफी नया रूप दिया गया था और करारोपण के आधार को धन से हटाकर अनुत्पादक परिसंपत्तियों पर कर दिया था। यह दृढ़ मांग रही है कि एक रिहायशी निवास सार्वभौमिक आवश्यकता है और इसे धन-कर के अधीन नहीं लाया जाना चाहिए। इस इसलिए मैं एक रिहायशी निवास के मूल्य अथवा उसके भाग को धन-कर लगाए जाने से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले वर्ष मैंने बिक्री के माल (स्टॉक इन ट्रेड) के रूप में धारित रिहायशी आवासों, मोटर कारों आदि पर धन-कर लगाने से छूट दी थी। अब मैं बिक्री के माल के रूप में धारित शहरी भूमि को छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन, स्टॉक-धारित की आड़ में सट्टेबाजों को निरुत्साहित करने के लिए मैं उस वर्ष, जिसमें भूमि अधिग्रहित की जाती है, से आरंभ करके इस छूट को तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रस्ताव करता हूं।

दान-कर के उद्देश्य के लिए छूट की सीमा कई वर्ष पहले 20,000 रुपए नियत की गई थी। मैं कर सुधार समिति की सिफारिशों से सहमत हूं कि इस सीमा को संशोधित करने की आवश्यकता है और इसलिए इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

किसी आश्रित रिश्तेदार को उसके विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों पर

केवल 10,000 रुपए की सीमा तक दान-कर से छूट दी जाती है, जबकि तड़क-भड़क वाले विवाहों पर होने वाला विशाल व्यय कर से बच निकलता है। बचतों और लाभकारी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से मैं किसी आश्रित रिश्तेदार के विवाह के समय प्रदान की जाने वाली कर-छूट की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

निर्यात अभियान, जिसे हर कीमत पर बनाए रखा जाना है, को प्रोत्साहन देने के क्रम में मैं बैंकिंग कंपनियों को उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले निर्यात संबंधी ऋण पर ब्याज-कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

मेरे द्वारा अब प्रस्तावित विभिन्न परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 300 करोड़ रुपए की हानि होगी, जिसमें राज्यों का हिस्सा 124 करोड़ रुपए होगा। यह राशि प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रहणों के 2 प्रतिशत से भी कम, यानि बहुत छोटा भाग है। मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे आशा है कि करों के बेहतर संग्रहण से इस हानि की पूर्ति हो जाएगी।

मैं अब अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आता हूं।

वर्ष 1973 से हम बुनियादी सीमा शुल्क के अतिरिक्त एक पृथक सहायक शुल्क लगाते रहे हैं। शुल्क ढांचे और निर्धारण प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए मैं पृथक सहायक शुल्क को समाप्त करने और उसे बुनियादी शुल्क के साथ विलयन करने का प्रस्ताव करता हूं।

सीमा शुल्क को पुनः संरचना करने में हमारी पहली प्राथमिकता पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयातों के क्षेत्र में होनी चाहिए क्योंकि ये शुल्क नए निवेशों के लिए प्रोत्साहनों पर प्रभाव डालते हैं। पिछले वर्ष परियोजना और सामान्य मशीनरी पर शुल्क को 80 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत किया गया था। यह प्रतिस्पर्धी देशों में दरों की तुलना में अभी भी काफी ऊंची है और इसे और घटाना आवश्यक है। इसलिए, मैं परियोजना और सामान्य मशीनरी पर आयात शुल्क कम करके इसे 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। विद्युत, कोयला खनन और पेट्रोलियम-शोधन जैसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में मौजूदा 30 प्रतिशत की शुल्क दर है। मैं कोयला खनन और पेट्रोलियम-शोधन के मामले में इस दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। विद्युत क्षेत्र के विशेष महत्व को देखते हुए, विद्युत परियोजनाओं पर शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है और यही दर विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए आवश्यक मशीनरी पर भी लागू की जा रही है।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पूंजीगत मशीनरी पर शुल्कों को पुनः संरचित करने में मैंने स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग के उचित हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया है। विभिन्न मंत्रालयों तथा संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ इस सम्बन्ध में व्यापक विस्तृत विचार-विमर्श हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित मशीनरी पर निम्न शुल्क दरों के कारण स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को हानि न पहुंचे, अवयवों पर आयात शुल्क को कम करना आवश्यक है ताकि हमारे विनिर्माता प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बन सकें। इसलिए मैं सामान्य मशीनरी के इन अवयवों पर शुल्क को वर्तमान 40 प्रतिशत अथवा 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे अवयवों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, मैं 'मोडवाट' के अधीन प्रतिपूर्ति की पूर्ण सुविधा के साथ 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता हूं।

मौजूदा तौर पर विभिन्न किस्मों के मशीनी औजार सहित अन्य कई पूंजीगत वस्तुएं हैं, जिन पर 60 प्रतिशत से 110 प्रतिशत के बीच में शुल्क की विभिन्न दरें लगती हैं। ऐसे उपकरण भी हैं, जिन पर 40 प्रतिशत से लेकर 110 प्रतिशत तक शुल्क लगता है। मैं इस ढांचे का तीन शुल्क दर खण्डों (स्लोट्स) अर्थात् 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत में युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस युक्तिकरण में सामान्यत: 20 से 30 प्रतिशतांक के बीच शुल्क में कमी होना शामिल है। फलस्वरूप, निर्दिष्ट पुर्जों और अवयवों पर शुल्क की दरों में कमी की जा रही है।

हस्त-चालित औजार शिल्पकारों और कुशल कामगारों के लिए पूंजीगत सामग्रियां होती हैं और इन पर मौजूदा तौर पर 40 प्रतिशत से लेकर 110 प्रतिशत तक का शुल्क लगता है। मैं इन सभी औजारों के लिए 40 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क कम करने का तर्क धातु और साथ ही धातु सामग्रियों पर शुल्क कम करने की अपेक्षा करता है, क्योंकि ये स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग की बुनियादी कच्ची सामग्रियां हैं। तदनुसार, स्वदेशी उत्पादकों की सहायता करने के लिए मैं अधिकांश मामलों में लौह धातुओं पर शुल्क दरों में 10 से 20 प्रतिशत तक की कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। इन परिवर्तनों के अनुरूप, इस्पात कतरन (स्क्रैप) पर आयात शुल्क का 15 प्रतिशत पर पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। निर्दिष्ट ऊष्म-सह (रिफरैक्ट्री) संबंधी कच्चे माल पर आयात शुल्क कम करके 30 प्रतिशत किया जा रहा है। अब मैं अलौह-धातुओं पर आता हूं तथा मैं इनमें से अधिकांश मदों पर शुल्क दरों में 10 से 55 प्रतिशतांक तक की कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। अनगढ़ और अमिश्रधातुओं पर शुल्क की परिणामी दरें 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच तथा गढ़ी हुई धातुओं पर 70 से 80 प्रतिशत तक के बीच रहेगी।

रसायनों का शुल्क ढांचा, दरों की बहुलता और कई असंगतियों द्वारा परिलक्षित होता है। निविष्टियों पर शुल्क प्राय: तैयार उत्पादों पर शुल्कों के अनुरूप नहीं होते हैं। इसलिए मैं ऊपरी सिरे पर शुल्क दरों को काफी कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि निविष्टियों पर शुल्क दरें सामान्यत: अन्तिम उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक नहीं हों, रसायन पर शुल्क दरों को पुन:संरचित करने का प्रस्ताव करता हूं। एथिलीन, प्रोपिलीन, बूटाडाइन, बेंजोन, स्टिरीन और एथिलीन डाइ-क्लोराइड जैसे बुनियादी संभरक सामग्रियों (फीड-स्टॉक) पर मौजूदा शुल्क दरें 25 और 80 प्रतिशत के बीच हैं। इन दरों को 15 प्रतिशत की एक समान निम्न शुल्क दर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। जाइलीन्स, पैराजाइलीन, टोलूईन, एक्रीलोनाइट्राइल और क्यूमीन पर शुल्कों को कम करके 40 प्रतिशत किया जा रहा है। डी०एम०टी०, पी०टी०ए० और एम०ई०जी० इन पर उत्पादन की ऊंची कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुल्कों को कम करके इन्हें 70 प्रतिशत पर एक किया जा रहा है। तथापि, स्वदेशी इकाइयों के हित की पर्याप्त सुरक्षा करने के लिए केप्रोलेक्टम के मामले में शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है।

इलेक्ट्रोनिक उद्योग हमारे निर्यात प्रयास में और रोजगार सृजन में एक भूमिका निभाता है, इसमें एक विश्व-स्तरीय उद्योग बनने की क्षमता है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूं। परियोजना आयातों और इलेक्ट्रोनिक्स के लिए विनिर्दिष्ट पूंजीगत सामग्रियों पर मौजूदा तौर पर शुल्क की दरें या तो 30 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत हैं। मैं इन दरों को 25 प्रतिशत की एकसमान दर तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। कच्चे माल, छोटे-छोटे पुर्जों और अवयवों पर

मौजूदा आयात शुल्क क्रमश: 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत लगाया जाता है। इन दरों को घटाकर क्रमश: 20 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 50 प्रतिशत किया जा रहा है। दूरसंचार क्षेत्र को विस्तृत और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। अत: ऑप्टिकल फाइबर केबल के निर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर आयात शुल्क में भारी कमी करके इसे 90 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

वस्त्र, चमड़ा, समुद्रीय उत्पाद, हीरे तथा जवाहरात आदि जैसे मौजूदा निर्यात-प्रमुख क्षेत्रों में हमें अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं, इनमें अपनी निर्यात क्षमता को मजबूत करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों से संबंधित निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर मैं आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण, बागबानी तथा पुष्पोत्पादन जैसे कुछ क्षेत्रों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निर्यात मदों पर परम ध्यान केन्द्रित करने संबंधी ग्रुपों (ग्रुप्स आन एक्सट्रीम फोकस आयटम्स फॉर एक्सपोर्ट) ने कुछ सिफारिशें की हैं। तदनुसार, इन क्षेत्रों के लिए भी निर्दिष्ट मदों पर आयात शुल्क घटा कर 25 प्रतिशत किया जा रहा है।

समुद्री जहाज को तोड़ने से संबंधित उद्योग रोजगार-प्रधान है तथा यह हमारे इस्पात उद्योग के गौण क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं इससे सम्बन्धित आयातों पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत का निम्न समाविष्ट सीमा-शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे समुद्री जहाजों को तोड़ने से प्राप्त होने वाली लौह सामग्री पर मौजूदा तौर पर जो उत्पाद शुल्क लगता है, उसे बिलकुल समाप्त किया जा रहा है।

लम्बाई की दृष्टि से हमारा फिल्म उद्योग विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। हालांकि, इस उद्योग ने प्रोत्साहनों की किसी खास जरूरत के बिना ही यह दर्जा प्राप्त कर लिया है, लेकिन इस उद्योग को अब इलैक्ट्रोनिकी तंत्र से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है और इसलिए इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का औचित्य है। इसलिए, मैं सिने पोजिटिव फिल्मों के जम्बो रोल पर शुल्क 55 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत तथा तैयार सिने फिल्म रोल पर लगभग 65 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं नेगेटिव सिने फिल्मों पर भी शुल्क की दर 35 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं।

ऊर्जा के ग़ैर-पारम्परिक स्रोतों, विशेषकर सौर ऊर्जा के, विकास को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्योग के निर्दिष्ट कच्चे माल तथा मदों पर उत्पाद-शुल्क की दर में 15 से 25 प्रतिशतांक तक की कमी की जा रही है। पवन-चालित बिजली जेनरेटरों पर आयात शुल्क को मैं 40 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

बंगलादेश के प्रति सौहार्द के प्रतीक के रूप में, मैं प्रसिद्ध जामदानी साड़ियों को आयात शुल्क मैं समझता हूं कि ये साड़ियां पश्चिम बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। मैं आशा करता हूं कि पश्चिम बंगाल की महिलायें संसद के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यों पर दबाव डालेंगी कि वे इन पहले से सताये हुए वित्त मंत्री के लिए परेशानी पैदा नहीं करेंगे। अदायगी से पूर्णतया मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। स्वदेशी क्षेत्र में निकासी के लिए लघु क्षेत्र की इकाइयां जहां उत्पाद-शुल्क से उन्मुक्त हैं, वहीं उन्हें नेपाल और भूटान को निर्यात की गई वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क अदा करना पड़ता है। मैं इन इकाइयों को इस शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता

हूं। मुझे आशा है कि पड़ोसी (सार्क) देशों के साथ व्यापार और बेहतर करने में इन कदमों का योगदान होगा।

मौजूदा तौर पर, मान्यता-प्राप्त प्रेस कैमरामैन 60,000 रुपये तक के मूल्य के फोटोग्राफी उपस्करों का सीमा-शुल्क-मुक्त आयात कर सकते हैं। लेकिन अन्य पत्रकारों को ऐसी ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वे लैपटोप कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, फैक्स मशीन तथा टाइपराइटर आदि जैसे विशिष्ट उपस्कर का आयात कर सकें। कहीं क्या इसी वजह से तो समाचारपत्रों में छपे मेरे चित्र (फोटो) संपादकीय टिप्पणियों से बेहतर होते हैं—मैं अक्सर सोचता हूं। भारतीय पत्रकारिता में आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के मेरे निश्चय के फलस्वरूप तथा देश में आर्थिक सुधार-संबंधी प्रश्नों की समझ को व्यापक बनाने में पत्रकारों ने जो ठोस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको दृष्टि में रखते हुए मैं मान्यता-प्राप्त पत्रकारों को भी 60,000 रुपए तक के मूल्य तक ऐसे उपस्करों के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा देने का प्रस्ताव करता हूं; यह सुविधा केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।

यात्री सामान की कुछ निर्दिष्ट मदों पर शुल्क को हाल ही में 255 प्रतिशत से घटा कर 150 प्रतिशत किया गया था। इस प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से मैं आम सामान पर शुल्क की दर को ही 255 से घटा कर 150 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अलग-अलग क्षेत्रों के लिए आयात शुल्कों में की गई कमियों के अनुरूप तथा मौजूदा विनिमय दरों को ध्यान में रखते हुए सभी मदों पर शुल्क की अधिकतम दर को कम कर दिए की गुंजाइश है। तदनुसार मैं यात्री-सामान और मद्यसारिक (एल्कोहलिक) पेयों सहित कुछ मदों को छोड़कर शुल्क की अधिनियम कर 110 प्रतिशत से घटा कर 85 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों को यह चिंता होगी कि आयात-शुल्कों को घटाने और आयात को उदार बनाने से हमारे उद्योग पर कहीं अत्यधिक दबाव न पड़े तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा और तैयार माल की डम्पिंग से वह कमजोर न हो जाए। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इन प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है तथा इन प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्योग पर कोई अनुचित दबाव नहीं पड़ेगा। पिछले दो वर्षों के दौरान विनिमय दर में किए गए परिवर्तनों से, शुल्क में, स्वदेशी उद्योग को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कमी करने की काफी गुंजाइश पैदा हो गई है। इसके अलावा मैं कच्चे माल और विनिर्मितियों पर से भी शुल्क दर में कटौती कर रहा हूं जिससे हमारे उत्पादकों की उत्पादन लागत में कमी आने से वे अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनेंगे। इन परिवर्तनों के बावजूद भी तैयारशुदा उत्पादों पर शुल्क [illegible] औद्योगिक संरक्षण से काफी ऊंचे होंगे। हम उस लक्ष्य की ओर चरणों में अगले वर्षों में जा सकते हैं। जहां तक सामान एकत्र करके (डम्पिंग से) अनुचित प्रतिस्पर्धा होने का प्रश्न है, इस बारे में हमारे एकाधिकार-रोधी कानून पहले से ही लागू हैं तथा जब भी आवश्यकता होगी इन कानूनों के अन्तर्गत तेजी से कार्रवाई की जाएगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसे ही एक मामले में सामयिक कार्रवाई की गई है।

पिछले वर्ष के बजट में लौह अयस्क और बिना पालिश के ग्रेनाइट पर निर्यात शुल्क लगाए गए थे। इन क्षेत्रों द्वारा महसूस की जा रही कुछ कठिनाइयां कई माननीय सदस्यों द्वारा मेरी जानकारी में लाई गई हैं। इसलिए मैं लौह अयस्क तथा बिना पालिश के ग्रेनाइट पर से निर्यात शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

अब मैं उत्पाद-शुल्क से संबंधित अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा। दरों को सरल बनाने, आम लोगों के उपभोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ राहत देने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और पूंजीगत लागतों में कमी करने की दृष्टि से स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग की सहायता करने के लिए, मांग की कमी से प्रभावित उद्योगों की सहायता करने तथा लघु उद्योगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्यों से ये प्रस्ताव से अनुप्राणित हैं।

1988 से विशेष उत्पाद-शुल्क के रूप में एक अधिभार लगाया गया जिसकी मौजूदा दर मूल उत्पाद-शुल्क का 15 प्रतिशत है। इस प्रक्रिया के सरलीकरण की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि परिणामी शुल्क दरों का युक्तिकरण करते हुए मूल उत्पाद-शुल्क के साथ विशेष उत्पाद-शुल्क अधिभार का विलयन कर दिया जाए।

मुद्रास्फीति से बुरी तरह प्रभावित हुए आम लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मैं आम लोगों के उपभोग की बहुसंख्यक वस्तुओं पर करारोपण में कुछ राहत देने का प्रस्ताव करता हूं। कॉफी, चाय, इंस्टेंट चाय को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। यदि इसके बाद एक कप की कीमत भी कुछ कम पड़े तो कांग्रेस (आई) को धन्यवाद दीजिए। मैं वनस्पति पर से भी उत्पाद-शुल्क की दर 1,900 रुपए से कम करके 1,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूं। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के अन्तर्गत तथा राज्य सरकारों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नकद राशि की सहायता से चलाई जा रही इकाइयों द्वारा निर्मित जूतों को, मूल्य सीमा का लिहाज किए बिना, उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। अन्य इकाइयों द्वारा निर्मित जूतों के संबंध में मैं रियायत के प्रयोजन से वर्तमान मूल्य सीमा को 75 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति जोड़ा करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं निम्नलिखित उत्पाद-शुल्कों में भी कमी करने का प्रस्ताव करता हूं :—

—वाष्पित्र कूलरों पर 23 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

—बिजली के पंखों पर 17.25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

—निर्दिष्ट घरेलू बिजली के उपकरणों पर 23 प्रतिशत से 15 प्रतिशत;

—ड्राई सेल बैटरियों पर 34.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत;

—मुद्रण और लेखन स्याही पर 17.25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

—रेडियो सेट पर 23 से 10 प्रतिशत;

—दंत मंजन पाउडर पर 17.25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

—नूडल और भुने हुए खाद्यान्नों पर 17.25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

—बिस्किट पर 11.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत;

—सांचे में ढलाई करके प्लास्टिक से निर्मित सामान पर 34.5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत;

—कोशिकामय रबड़ से बने गद्दे और बिस्तर जैसी मदों पर 69 प्रतिशत से 30 प्रतिशत।

मैं आशा करता हूं कि इस उपाय से गृहणियों के साथ हमारे दल की समझबूझ में सुधार आयेगा और जब समय आयेगा तो वे उस हाथ को नहीं भूलेंगी जिसने जीवन यापन की लागत को कुछ कम किया।

मौजूदा तौर पर पूंजीगत वस्तुओं और यंत्रों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दरें 11.5

प्रतिशत से लेकर 23 प्रतिशत तक हैं। पूंजी लागत को कम करने और निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मैं बड़ी संख्या में पूंजीगत वस्तुओं और यंत्रों की मदों पर उत्पाद-शुल्क को कम करके इसे 10 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। विद्युत क्षेत्र के लिए मैं इस दर को अपने देश में विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए और भी घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

औद्योगिक विकास का पुनरुत्थान हमारी वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित कार्यनीति का प्रमुख तत्व है। ऑटोमोटिव क्षेत्र, टेलीविजन और रेफ्रीजिरेशन तथा एयर कंडीशनिंग उद्योग मौजूदा तौर पर मंदी से ग्रस्त हैं। इन उद्योगों में लगे कामगारों का भविष्य अनिश्चित है। यदि मंदी की मौजूदा प्रवृत्ति को न उल्टा गया तो राजस्व की संभावनाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उत्पाद-शुल्कों में कमी करके इन उद्योगों को मैं पर्याप्त राहत देने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि इस प्रोत्साहन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेगी।

सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं सामान और यात्रियों को लाने ले जाने के लिए पैट्रोल के बिना चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद-शुल्क 23 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही, ऐसे वाहनों के चेसिस पर भी उत्पाद-शुल्क घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं बसों तथा इसी प्रकार के यात्री-वाहनों के चेसिस पर ढांचे के निर्माण पर से उत्पाद-शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर देने का प्रस्ताव भी करता हूं। तिपहियों (थ्री-व्हीलर्स) पर से उत्पाद-शुल्क की दर 23 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की जा रही है। मैं मोटर कारों पर उत्पाद-शुल्क 55 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि श्री ज्योति बसु और श्री जार्ज फर्नान्डिस दोनों इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

रंगीन टेलीविजन पर विशिष्ट उत्पाद-शुल्क की दर, जो इस समय 1,925 रुपए से 4,785 रुपए प्रति सेट के बीच हैं, को घटाकर 1,250 रुपए से 2,200 रुपए प्रति सेट निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे सभी राजनीतिज्ञ स्वयं की रंगीन तस्वीर देख पायेंगे।

मौजूदा तौर पर रेफ्रीजिरेटरों पर उनकी क्षमता के अनुसार 575 रुपए से 5,750 रुपए प्रति रेफ्रीजिरेटर तक का उत्पाद-शुल्क लगता है। मैं इन दरों को घटा कर 400 रुपए से 3,500 रुपए प्रति रेफ्रीजिरेटर तक करने का प्रस्ताव करता हूं। अन्य रेफ्रीजिरेटिंग उपकरणों, जिनमें कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी शामिल हैं, पर इस समय 69 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगता है। यह शुल्क अत्यधिक ऊंचा है तथा इससे खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रतिरक्षण उद्योगों की संवृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, मैं शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। एयर-कंडीशनर पर उसकी क्षमता के अनुसार प्रति नग 13,800 रुपए से लेकर 85,100 रुपए तक लगने वाले मौजूदा उत्पाद-शुल्क को घटा करके मैं इसे प्रति नग 7,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव करता हूं। 7.5 टन तक की क्षमता वाले एयर कंडीशनर के कम्प्रैसरों पर उत्पाद-शुल्क 6,900 रुपए से घटाकर 5,500 रुपए प्रति कम्प्रैसर करने का प्रस्ताव करता हूं।

निम्न और उच्च घनत्व वाले पोलीएथीलीन, पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीस्टीरीन आदि जैसी थोक प्लास्टिक रेसिनों पर से उत्पाद-शुल्क को 46 प्रतिसत से कम करके 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से हमारे देश में प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करने वाली कई छोटी इकाइयों को लाभ पहुंचेगा।

धातु, उद्योगों के बुनियादी कच्चे माल होते हैं तथा कर सुधार समिति ने इस श्रेणी पर उत्पाद-शुल्क में कमी करने का सुझाव दिया है। इसलिए मैं धातुओं की मौजूदा शुल्क संरचना के युक्तिकरण का प्रस्ताव करता हूं। लौह धातुओं पर मूल्यानुसार शुल्क की दरें 11.5 प्रतिशत से लेकर 23 प्रतिशत के बीच होती हैं। मैं इन दरों का 12.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के दो स्लैबों के रूप में युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। एल्यूमीनियम पर लगने वाली शुल्क दरें 23 प्रतिशत से लेकर 40.25 प्रतिशत तक हैं। मैं इनके स्थान पर 25 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। तांबा, जस्ता, सीसा जैसी अलौह धातुओं पर 11.5 प्रतिशत से लेकर 34.5 प्रतिशत तक की शुल्क दरें लगती हैं। मैं इन पर शुल्क की 15 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। कुछ लौह धातुओं पर अभी भी विशिष्ट दरों के अनुसार शुल्क लगता है। पिछले वर्ष से हुए मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैंने इन दरों में कुछ ऊर्ध्वगामी समायोजन करने का प्रस्ताव रखा है।

पर्यावरण सुरक्षा के एक उपाय के रूप में और लकड़ी बचाने की दृष्टि से मैं प्लाईवुड पर उत्पाद-शुल्क 34.5 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। लेखन और मुद्रण कागज के उत्पादन के लिए चावल और गेहूं की भूसी से बनी लुगदी तथा खोई, पटसन आदि से बनी लुगदी की कम से कम 75 प्रतिशत मात्रा वाले अलेपित क्राफ्ट कागज को भी मैं उत्पाद-शुल्क से पूर्ण मुक्ति की स्कीम में शामिल करता हूं। इससे पता चलता है कि मैंने पश्चिम बंगाल पर ध्यान दिया है, इससे कागज के निर्माण में गैर-पारम्परिक कच्चे माल के प्रयोग करने की गुंजाइश बढ़ेगी।

माचिस उद्योग के यंत्रीकृत, अर्ध-यंत्रीकृत तथा गैर-यंत्रीकृत और कुटीर क्षेत्रों में इस समय क्रमश: 3.15 रुपए, 2.10 रुपए, 1.70 रुपए तथा 0.70 रुपया प्रति सौ माचिस की दर से उत्पाद-शुल्क लगाया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने इस उद्योग द्वारा महसूस की जा रही कुछ कठिनाइयों तथा इसके ढांचे में विद्यमान कतिपय असंगतियों के बारे में मुझे अवगत कराया है। उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए मैं शुल्क की दर को घटा कर क्रमश: 2.40 रुपए, 1.25 रुपए, 1 रुपया तथा 0.50 रुपया करने का प्रस्ताव करता हूं तथा कुटीर क्षेत्र की मौजूदा रियायतें केवल उन्हीं इकाइयों तक सीमित रखने का भी प्रस्ताव है जो पंजीकृत सहकारी समितियां हों अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हों।

कान्तिवर्द्धक सामान और दैनिक प्रसाधन सामग्रियों जैसे टैलकम पाउडर, शैम्पू, चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीम, शेविंग क्रीम आदि पर 120.75 प्रतिशत की मौजूदा उत्पाद-शुल्क दर अत्यन्त ऊंची है। समाज के एक विस्तृत वर्ग के लोगों द्वारा अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए इन सामग्रियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। मुझे इन सामग्रियों पर उत्पाद-शुल्क में कमी करने के संबंध में व्यापारियों, उपभोक्ताओं तथा महिला संगठनों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही नकली प्रसाधन सामग्रियों और इस बहुत उच्च शुल्क की चोरी से संबंधित अन्य दुरुपयोगों के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसलिए मैं कान्तिवर्द्धक सामान और प्रसाधन सामग्रियों पर उत्पाद-शुल्क 120.75 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं टायरों, ट्यूबों और फ्लैपों पर लगाए गए उत्पाद-शुल्कों की निर्दिष्ट दरों में मामूली ऊर्ध्वगामी संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं शीरे पर उत्पाद-शुल्क की निर्दिष्ट दरों में भी उर्ध्वगामी संशोधन करके उसे 172.50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूं।

लघु क्षेत्र भारतीय उद्योग की शक्ति का स्रोत तथा नई उद्यमियता की नर्सरी रहा है। इस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-छूट योजना ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अन्य उपायों के साथ-साथ इसके विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। मैं इस योजना के सरलीकरण और लघु इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए इसकी पुनः संरचना करने तथा इसके साथ ही प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की कतिपय सिफारिशों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं पंजीकरण से छूट के लिए वर्तमान सीमा को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे अनेक छोटी इकाइयों को पंजीकरण की अनिवार्यता से मुक्ति मिल सकेगी और इसके साथ ही कर प्राधिकारियों के लिए अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयों पर अधिक ध्यान देना संभव होगा। मौजूदा तौर पर उत्पाद-शुल्क के एक अध्याय के अन्तर्गत वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों के संबंध में पहले 20 लाख रुपए तक के उत्पादन पर उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट है और यह सीमा 30 लाख रुपए है, यदि उत्पादित वस्तुएं शुल्क के एकाधिक अध्याय के अन्तर्गत आती हैं। मैं सभी इकाइयों के लिए शुल्क-सीमा छूट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे लघु क्षेत्र के निचले खण्ड में अनेक इकाइयों को लाभ पहुंचना चाहिए।

मैं सोचता हूं कि पुनर्संरचना के ही संदर्भ में, इस क्षेत्र की बड़ी इकाइयां राजकोष में कुछ अधिक योगदान कर सकती हैं। मौजूदा तौर पर शून्य शुल्क सीमा से ऊपर और 75 लाख रुपए तक के लिए देय उत्पाद-शुल्क सामान्य शुल्क घटा 10 प्रतिशतांक और कम से कम 5 प्रतिशत मूल्यानुसार है। मैं एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए तक के अनुमोदनों के लिए इसे बरकरार रखने का प्रस्ताव करता हूं। 50 लाख रुपए से अधिक और 75 लाख रुपए तक के अनुमोदनों के लिए रियायती दर सामान्य शुल्क घटा 5 प्रतिशतांक और कम से कम 5 प्रतिशत मूल्यानुसार होगी।

लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं से वस्तुओं के खरीददारों को मौजूदा तौर पर मोडवॉट के अंतर्गत सांकेतिक ऋण मिलता है जो पूर्ववर्ती द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से 5 प्रतिशतांक अधिक होता है। लोक लेखा समिति ने इस सुविधा के संचालन में कुछ अनियमितताएं पाई हैं। कर सुधार समिति भी इस विशेष छूट के जारी रखने के पक्ष में नहीं है जो अनिवार्यतः बड़े स्तर के प्रयोक्ता उद्योग की सहायता करती है। इसलिए, मैं इस उपरोक्त सांकेतिक ऋण को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं जो लघु इकाइयों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के खरीददारों को मौजूदा तौर पर मिल रहा है। उन्हें मोडवॉट ऋण वास्तव में केवल भुगतान किए गए शुल्क के आधार पर ही मिलेगा।

कान्तिवर्द्धक प्रसाधनों और रेफ्रिजरेटरों तथा वातानुकूलन उपस्करों के संबंध में, पिछले वर्षों में मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखते हुए, मैं लघु क्षेत्र के लिए उत्पाद-शुल्क छूटों को उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं अनुमोदनों की सीमा पूर्ण छूट हेतु 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। उसके बाद एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए तक के अनुमोदनों पर 50 प्रतिशत सामान्य शुल्क लगेगा। एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए से ऊपर के अनुमोदनों पर सामान्य शुल्क लगेगा। छूट की उदारीकृत योजना केवल उन्हीं इकाइयों को उपलब्ध होगी जिनके अनुमोदनों का मूल्य एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं बैठता हो। मैं आशा करता हूं कि इस रियायत से इन क्षेत्रों में लघु इकाइयों को सहायता मिलेगी।

लघु क्षेत्र में सभी प्रस्तावित परिवर्तन पहली अप्रैल, 1993 से प्रभावी होंगे।

अब मैं कृषि, वस्त्रोद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों सहित कुछ प्रस्तावों की ओर आता हूं।

कृषि हमारे आर्थिक विकास के लिए प्रमुख है और यह विशेष राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाने का हकदार है जिसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का आधुनिकीकरण और विविधीकरण करना है। मैं कृषि, बागवानी, वानिकी, मुर्गी-पालन आदि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी की विभिन्न मदों पर आयात शुल्क को 55 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं चावल के ट्रांसप्लांटरों पर आयात-शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं ग्रांड-पेरेंट मुर्गीपालन स्टॉक पर आयात-शुल्क को 105 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। कुछ एमिनो अम्लों पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

मछली पकड़ने में उपयोग की जाने वाली बाहरी बोर्ड युक्त (आऊट-बोर्ड) मोटरों के संबंध में मैं आयात-शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं निर्दिष्ट कीटनाशकों पर आयात-शुल्क को 110 प्रतिशत से कम करके 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। कुछ कीटनाशक मध्यवर्तियों पर आयात-शुल्क दरें जो 65 प्रतिशत से 110 प्रतिशत के बीच हैं, उन्हें कम करके 50 प्रतिशत किया जा रहा है।

मैं बागवानी और पादप गृहों (ग्रीन हाऊस) के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं पर आयात शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मौजूदा तौर पर 1800 सी०सी० से ऊपर इंजिन क्षमता वाले ट्रैक्टरों और ट्रेलरों पर कुल उत्पाद-शुल्क क्रमशः 17.25 प्रतिशत और 23 प्रतिशत लगता है। मैं उन पर उत्पाद-शुल्क को कम करके क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मेरे पास वस्त्रोद्योग के लिए उत्पाद-शुल्क-रियायतों का एक पैकेज है। कृषि के बाद, देश में रोजगार देने का यह सबसे बड़ा माध्यम है। अन्य किस्म के किसी भी यार्न की तुलना में पोलिएस्टर और नाइलॉन फिलामेंट पर वर्तमान उत्पाद-शुल्क दर ऊंची हैं। फाइबर और यार्न के संश्लिष्ट (सिंथेटिक) क्षेत्र में पर्याप्त क्षमताओं की स्थापना की गई है। आम आदमी की पहुंच में सिंथेटिक कपड़ों को लाने की दीर्घावधिक नीति के एक भाग के रूप में मैं महसूस करता हूं कि इस क्षेत्र में उत्पाद-शुल्क की दरों को कम किए जाने की आवश्यकता है। अतः मैं पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 80.60 रुपए प्रति किलोग्राम से कम करके 69 रुपए प्रति किलोग्राम और नाइलॉन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 71.50 रुपए प्रति किलोग्राम से कम करके 57.50 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर पर उत्पाद-शुल्क को 13.65 रुपए प्रति किलोग्राम से कम करके 12.65 रुपए प्रति किलोग्राम और विस्कॉस स्टेपल फाइबर पर उत्पाद-शुल्क को 15.60 रुपए प्रति किलोग्राम से कम करके 14.95 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं पोलिप्रोपलिन फिलामेंट यार्न पर उत्पाद-शुल्क को 32.50 रुपए प्रति किलोग्राम से कम करके 28.75 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे आगे मैं एक्रिलिक स्टेपल फाइबर पर उत्पाद-शुल्क को 15.60 रुपए से कम करके 14.95 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं।

स्वास्थ्य देख-रेख पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं निर्दिष्ट थोक (बल्क)

औषधियों पर आयात शुल्क को 110 प्रतिशत या 80 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं निर्दिष्ट औषध मध्यवर्तियों, जिन पर मौजूदा तौर पर 60 प्रतिशत से 110 प्रतिशत तक विभिन्न आयात शुल्क लगाये जाते हैं, के संबंध में 50 प्रतिशत की एक समान दर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। होमियोपैथी दवाओं के सम्बन्ध में मैं आयात-शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

चिकित्सा-संबंधी उपकरणों का देशीय उत्पादन सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का पात्र है। मौजूदा तौर पर निर्दिष्ट जीवन रक्षक इलैक्ट्रानिक चिकित्सा उपकरणों के कुछ कल-पुर्जों पर आयात शुल्क में पूरी छूट उपलब्ध है। मैं निर्दिष्ट गैर-इलैक्ट्रानिक जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण की देशीय प्रक्रिया को तेज करने में सहायता देने के लिए ऐसे कल-पुर्जों पर भी छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। कुछ अन्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए अवयवों के संबंध में मैं मौजूदा आयात शुल्क को 45 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त इन्हीं कारणों से मैं निर्दिष्ट नजर-रक्षक उपकरणों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर उत्पाद-शुल्क को कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा अन्तःशिरा द्रवों की पैकिंग के लिए एसेप्टिक फार्म-फिल-सील मशीनों पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने उत्पाद और सीमा-शुल्कों में परिवर्तन करने के लिए वित्त विधेयक में भी कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है, जो सामान्यत: समर्थकारी प्रावधान के रूप में हैं और उनका राजस्व की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा, कुछ मौजूदा अधिसूचनाओं में संशोधन करने के प्रस्ताव हैं। मैं सदन का समय बचाने के लिए यहां उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

जैसा कि पारम्परिक रूप से परिकलित किया गया था उत्पाद-शुल्कों के संबंध में परिवर्तनों से सम्बन्धित पहले रखे गए प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 2,249 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने की संभावना है। लेकिन मुझे आशा है कि शुल्कों में कमी करने सहित सरकार जिन बहुत से कदमों को उठा रही है, उनके परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्क वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी और इसलिए क्षति को इस मद में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के लाभ द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित कर लिया जाएगा। उत्पाद-शुल्कों में राजस्व के निवल घाटे में केन्द्र का हिस्सा 708 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 541 करोड़ रुपए होगा।

सीमा-शुल्कों की प्रस्तावित पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप 3,273 करोड़ रुपये की निवल हानि होती है। यह सम्पूर्ण राजस्व हानि केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी।

सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों, दोनों को मिलाकर मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष करों में 4,522 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होती है। केन्द्र के राजस्व में 3,981 करोड़ रुपये और राज्यों के राजस्व में 541 करोड़ रुपये की हानि है। मेरा विश्वास है कि यह एक अस्थायी हानि है और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। मध्यावधि में इस हानि की वर्धित कुशलता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और अर्थव्यवस्था के तेज विकास द्वारा पूर्ति कर ली जाएगी।

28 फरवरी, 1993 में सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी

बनाने से सम्बन्धित अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा समय सदन के सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों के कारण होने वाले राजस्व घाटे को हिसाब में लेने के बाद वर्ष 1993-94 के लिए बजटीय घाटा 4,314 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 36,959 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे चारों तरफ विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है। वह एक बाजार के रूप में अधिक एकीकृत और प्रतिस्पर्द्धात्मक होता जा रहा है। अन्य विकासशील देश इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने को सफलतापूर्वक बदल रहे हैं। हम इस प्रक्रिया से बाहर नहीं रह सकते, अन्यथा दकियानूसी पूर्वग्रहों और साम्प्रदायिक विभाजनों में फंसे रहेंगे। निदान स्पष्टत: आर्थिक कायाकल्प के कार्य में हमारे लोगों, विशेषकर नवयुवकों, की भारी ऊर्जा का उपयोग करने में है। मैंने इस बजट को, आर्थिक और सामाजिक विकास को राष्ट्रीय कार्यसूची पर दृढ़ता से वापस लाने के एक अवसर के रूप में किया है। विश्व को यह दिखाने का एकमात्र रास्ता है कि भारत प्रगति के पथ पर अग्रसित होने वाला राष्ट्र है और सफलता पाने के लिए दृढ़संकल्प है।

भारत की नियति विश्व के आर्थिक और राजनीतिक मंच पर एक प्रमुख भूमिका निभाने की है। इसके लिए हमें गरीबों और सुविधा वंचितों के लिए गहरी तथा चिरस्थायी चिन्ता करने वाली गतिशील और तेजी से विस्तारित होने वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। हमारे हृदय में संजोये राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीति को एक अर्थपूर्ण साधन बनना है। जब राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक उद्‌देश्यों के सम्बन्ध में कार्रवाई करनी हो तब टकराव या शीत युद्ध के दांवपेचों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें बुद्धिमत्ता, गांभीर्य, उद्‌देश्य की दृढ़ता और इन सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है।

जैसाकि स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व का अंश होता है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक न्यायोचित समाज के निर्माण के लिए इस दैवी क्षमता को जुटाया जा सके। हमारे लोगों को उसकी अपार क्षमता का भान होना चाहिए। इकबाल की मशहूर पंक्तियों में कहा गया है :

"खुदी को कर बुलन्द इतना, कि हर तदबीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।"

यही एक ऐसी चुनौती है जिसका हमारी सामाजिक प्रणाली को डटकर सीधा मुकाबला करना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि यह बजट इस अत्यावश्यक कार्य की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करता है।

महोदय, मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

6.36 म० प०

वित्त विधेयक, 1993*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1993-94 के

---

* दिनांक 27-2-93 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक 1993, पुरःस्थापित किया गया।

मैं सभा के सभी सदस्यों का उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं।

अब सभा सोमवार, 1 मार्च, 1993 को 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.38 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 1 मार्च, 1993, 10 फाल्गुन 1914 (शक) के 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

चौधरी मुद्रण केंद्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53